कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 79/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 27.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा वाहन चोरी/नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले गैंगेस्टर एक्ट में वांछित ₹25,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.01.2026 को वादी प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। आरोप था कि अभियुक्तगण भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ के उद्देश्य से *वाहन चोरी/नकबजनी जैसे जघन्य अपराध* कारित करते हैं। इनके कृत्यों से आम जनमानस में भय का वातावरण व्याप्त था तथा आमजन पुलिस को सूचना देने एवं न्यायालय में गवाही देने से भयभीत थे। इस संबंध में थाना दीदारगंज पर *मु0अ0सं0 19/2026 धारा 2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। नामजद अभियुक्तगण निम्नलिखित हैं–

1. बीरु कुमार पुत्र फिरन्ती, ग्राम आमगांव, थाना दीदारगंज, आजमगढ़
2. शनि गौतम पुत्र लालचन्द, ग्राम आमगांव, थाना दीदारगंज, आजमगढ़
3. जय कुमार गौतम पुत्र दलसिंगार, ग्राम आमगांव, थाना दीदारगंज, आजमगढ़

उक्त प्रकरण में अभियुक्त बीरु कुमार फरार चल रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक *27.02.2026* को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त *सुघरपुर बॉर्डर तिराहा* पर मौजूद है तथा भागने की फिराक में है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। मुखबिर के संकेत पर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई। पुलिस टीम को देखकर वह भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम *बीरु कुमार पुत्र फिरन्ती, निवासी ग्राम आमगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष* बताया। नाम-पता सत्यापन उपरांत अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त का बोध कराते हुए गिरफ्तारी का कारण बताया गया तथा समय करीब 07:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 289/24 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 124/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 125/25 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 225/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 19/26 धारा 2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

2. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 तेरसू यादव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
4. हे0का0 अनिल कुमार यादव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के 42,000 रुपये पीड़िता के खाते में वापस कराए गए

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी/पीड़िता थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 14.08.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अश्लील वीडियो देखने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। साइबर ठग द्वारा पीड़िता के Union Bank of India के खाते से कुल 44,700 रुपये की धनराशि अवैध रूप से आहरित कर ली गई। घटना के संबंध में पीड़िता द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन **1930** तथा National Cyber Crime Reporting Portal (https://cybercrime.gov.in/) पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका शिकायत/एकनॉलेजमेंट संख्या- 33108240102307 है।

रुपया वापसी का विवरण:-

साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा उक्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी माध्यम से जांच की गई। जांच के दौरान पीड़िता के खाते से निकाली गई 44,700 रुपये की धनराशि में से 42,000 रुपये आरोपी के खातों में होल्ड कराए गए। होल्ड की गई धनराशि के संबंध में माननीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित किया गया। तत्पश्चात विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 42,000 रुपये पीड़िता के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराए गए।

साइबर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 दयानन्द
2. का0 दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा
3. म0का0 पूजा पाण्डेय

नागरिकों से आजमगढ़ पुलिस की अपील:-

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें अथवा National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करें, ताकि समय रहते धनराशि होल्ड कर वापस कराई जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 27.02.2026

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

<u>जीएसटी चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

<u>पूर्व की घटना:-</u>

दिनांक 03.09.2025 को आवेदक श्री अविनाश चन्द्र राय, सहायक आयुक्त (प्रभारी), राज्यकर सचल दल, आजमगढ़ द्वारा प्रातः 06:12 बजे एवं 07:21 बजे वाहन संख्या UP14GT6325 व P810HX4887 (माल – आयरन स्क्रैप, HSN 7204) को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट, आजमगढ़ में जांच हेतु रोका गया। जांच के दौरान पाया गया कि क्रेता/विक्रेता द्वारा अस्तित्वहीन/बोगस फर्मों के नाम पर फर्जी इनवॉइस एवं ई-वे बिल जारी कर कूटरचित प्रपत्रों की आड़ में *Old Iron Tin Tapper Scrap* का परिवहन किया जा रहा था, जो जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 31 सहपठित नियम 46 एवं ई-वे बिल नियम 138 का उल्लंघन है तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

प्रकरण में निम्न फर्मों की संलिप्तता पाई गई–

- विद्या ट्रेडर्स, 48 सेक्टर-2, जागृति नगर, देवेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
- अविराज ट्रेडिंग, चकरेल, पो॰ तहसील शानन, शिमला, हिमाचल प्रदेश
- मुनि जी ट्रांसपोर्ट कंपनी, आर.ए. फोकल प्वाइंट, पटना, बिहार

उक्त संगठित समूह द्वारा जीएसटी पंजीयन एवं सरकारी प्रपत्रों के माध्यम से कर अपवंचन कर राजस्व को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से माल परिवहन किया जा रहा था। इस संबंध में मु0अ0सं0 285/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कन्धरापुर पर पंजीकृत किया गया था। विवेचना व0उ0नि0 रमेश कुमार द्वारा की जा रही थी।

<u>गिरफ्तारी का विवरण:-</u>

विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्त **वेदवीर पुत्र सेवक राम, निवासी ग्राम महमदपुर अमिलईया, थाना जहानागंज, जिला फर्रुखाबाद, उम्र लगभग 33 वर्ष** को दिनांक 27.02.2026 को *हण्डिया टोल प्लाजा, प्रयागराज* से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह ट्रक संख्या UP50GT6325 चलाता था। अम्बाला से परचून लोड कर बिहार (फारबिसगंज) गया था। माल उतारने के बाद स्क्रैप/कबाड़ लोड कर पंजाब (गोविन्दगढ़ मंडी) ले जाया जा रहा था। रास्ते में दिनांक 03.09.2025 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ के पास जीएसटी टीम द्वारा वाहन पकड़ा गया था। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपराध स्वीकार किया गया। विवेचना में धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339, 340(2) बीएनएस के तहत अपराध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पंजीकृत अभियोग:-</u>

01. मु0अ0सं0 285/25 धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339, 340(2) बीएनएस थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम:-</u>

1. व0उ0नि0 रमेश कुमार, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
2. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर थाना, आजमगढ़
3. का0 राहुल कुमार, साइबर थाना, आजमगढ़
4. का0 विनय कुमार यादव, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना – अतरौलिया, जनपद आजमगढ़</u>

साइबर फ्रॉड के ₹92,240/- पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

पूर्व की घटना:-

दिनांक 24.10.2025 को आवेदक मनोज कुमार सिंह निवासी ग्राम गोरहरपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनका मोबाइल फोन गुम हो जाने के पश्चात उनके बैंक खाते से ₹92,240/- की धनराशि अनधिकृत रूप से ट्रांसफर कर ली गई। घटना के संबंध में आवेदक द्वारा साइबर शिकायत दर्ज कराते हुए शिकायत संख्या 23110250168682 पंजीकृत कराई गई। प्रकरण की जांच साइबर हेल्पडेस्क थाना अतरौलिया द्वारा की गई।

रुपया वापसी का विवरण:-

साइबर हेल्पडेस्क प्रभारी उ0नि0 अभिषेक यादव, थाना अतरौलिया द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया गया। माननीय न्यायालय से *फंड रिलीज ऑर्डर* प्राप्त होने के उपरांत बैंक के नोडल अधिकारी को अवगत कराते हुए आवेदक के खाते में कुल ₹92,240/- की संपूर्ण धनराशि वापस कराई गई। साइबर हेल्पडेस्क प्रभारी द्वारा बताया गया कि साइबर टीम जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

पुलिस टीम:-

1. प्रभारी साइबर हेल्पडेस्क उ0नि0 अभिषेक यादव, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

अपील:-

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा आधिकारिक साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, जिससे समय रहते धनराशि सुरक्षित कर वापस कराई जा सके।